न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 553 / 2023 (2023 / 1389)

अपीलार्थीगण :–

1. मघसिंह
2. अम्बेसिंह
3. जालमसिह
4. पुंजराजसिंह
5. दलपतसिंह पुत्रान् स्व0 चैनसिंह
6. मूल सिंह पुत्र स्व0 मंगलसिंह
7. सोम कंवर पत्नी स्व0 मंगलसिंह निवासीगण रूपावतों की ढाणिया, ग्राम लूणावास खारा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. भंवर कंवर पुत्री स्व0 मंगलसिंह पत्नी आम सिंह, जाति राजपूत, निवासी मालूंगा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
9. संतोष कंवर पुत्री स्व0 मंगलसिंह पत्नी सवाईसिंह, जाति राजपूत, निवासी बेतीणा, जैसलमेर।
10. रतन कंवर पुत्री स्व0 मंगलसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
11. केलम कंवर पुत्री स्व0 मंगलसिंह पत्नी दीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव बेतीणा, जैसलमेर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।
2. उपतहसीलदार झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1065 ग्राम लूणावास खारा जो दिनांक 25.07.2019 को उप तहसीलदार झंवर द्वारा स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री भंवरसिंह गौड़ (अपीलार्थीपक्ष)।

–: आदेश :– दिनांक :– 05.04.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 1065 ग्राम लूणावास खारा जो दिनांक 25.07.2019 को उप तहसीलदार झंवर द्वारा स्वीकार किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:14 IST
Reason: SelfAttested

तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 841 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 847 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 848 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 849 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 855 रकबा 48 बीघा 03 बिस्वा और खसरा नं0 924 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरान् 6 कुल रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा ग्राम लूणावास खारा पटवार हल्का लूणावास खारा, भू–अभिलेख निरीक्षक झंवर, तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीगण के नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने–अपने हिस्से पर बने रहवासीय मकान, बाड़ा, पानी का टांका के अनुसार उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा कर उप तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त बंटवाड़े को उप तहसीलदार झंवर द्वारा स्वीकार किया गया तथा उसके अनुसरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण और प्रस्तुत बंटवाड़े के रकबा में अन्तर होने से अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार झंवर से तलब किया गया। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस दिनांक 19.03.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 05.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर वास्तविक बंटवाड़ा अनुसार नामान्तरकरण करने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा माह अगस्त 2021 में राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में रकबा गलत इन्द्राज कर दिया है। तत्पश्चात् अपीलाधीन नामान्तरकरण में शुद्धी करवाने के लिए तहसीलदार लूणी को प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया, जिस पर पटवारी लूणावास खारा ने उक्त नामान्तररकण को निरस्त करने के लिए न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के बारे में दिनांक 01.06.2022 को बताया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में नियत समयावधि में अपील पेश की गई। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वो माकुल व सद्भाविक होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:14 IST
Reason: Self Attested

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया गया एवं बंटवाड़ा के अनुसार मौके

पर काबिज है लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय जो रकबा आपसी सहमति से बंटवाड़े में लिखा गया था उसकी जगह गलत इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण में पटवारी हल्का द्वारा गलत रकबा इन्द्राज करने से अपीलाधीन नामान्तरकरण आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़े के अनुसार नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण में शुद्धी बाबत् प्रार्थना–पत्र तहसीलदार लूणी को दिनांक 30.09.2021 को प्रस्तुत किया गया और एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.11.2021 को प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम लूणावास खारा तहसील लूणी को प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करने के बाबत् प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का लूणावास खारा ने बतलाया कि '' नामान्तरकरण संख्या 1065 और मौके की स्थिति में अन्तर होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 1065 निरस्त किया जाना उचित है। '' बहस के अन्त में नामान्तरकरण निरस्त कर आपसी सहमति के बंटवाड़े के अनुसार नामान्तरकरण नये सिरे से स्वीकृत करने की प्रार्थना की।

हमने अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अपील पेश करने में जो देरी के कारण बतलाए गए है वह सद्भाविक होने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर उपतहसीलदार (भू0अ0) झंवर द्वारा दिनांक 21.08.2018 को आपसी सहमति बंटवाड़े पर आदेश पारित कर पटवारी लूणावास खारा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। पटवारी हल्का लूणावास खारा द्वारा उपतहसीलदार (भू0अ0) झंवर के आदेश क्रमांक/सम/2018/312 दिनांक 21.08.2018 के अनुसरण में नामान्तरकरण भरकर नायब तहसीलदार झंवर के समक्ष स्वीकृत हेतु पेश किया गया जिसे उप तहसीलदार झंवर द्वारा दिनांक 25.07.2019 को स्वीकृत किया गया लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण में बंटवाडे में जो खातेदारों को भूमि प्राप्त हुई उनका रकबा गलत इन्द्राज कर दिया। सहखातेदार मूलसिंह वल्द [illegible] कंवर रतनकंवर बेलम कंवर पुत्रियाँ मंगलसिंह, सोमकंवर पत्नी [illegible] को बंटवाड़े में खसरा संख्या 855/10 रकबा 1.10 बीघा, ख[illegible] रकबा 1.10 बीघा तथा खसरा नं0 924

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:14 IST
Reason: Self Attested

रकबा 10.13 बीघा प्राप्त हुई लेकिन नामान्तरकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का लूणावास खारा द्वारा खसरा संख्या 855/10 रकबा 1.10 बीघा की जगह रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 855/11 रकबा 1.10 बीघा की जगह 2.10 बीघा दर्ज कर दिया गया। सहखातेदार मघसिंह पुत्र चेनसिंह जाति राजपूत, को बंटवाड़े में खसरा संख्या 841 रकबा 6.18 बीघा, खसरा संख्या 848/3 रकबा 1.02 बीघा तथा खसरा संख्या 855/9 रकबा 5.11 बीघा प्राप्त हुई लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 841 रकबा 6.18 बीघा, खसरा संख्या 848/3 रकबा 0.16 बीघा तथा 855/9 रकबा 5.14 बीघा दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार अन्य खातेदारों को बंटवाड़े में जो जमीन प्राप्त हुई उनमें भी नामान्तरकरण दर्ज करते समय गलत रकबा दर्ज कर दिया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1065 ग्राम लूणावास खारा जो दिनांक 25.07.2019 को उप तहसीलदार झंवर द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार झंवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपतहसीलदार (भू0अ0) झंवर के आदेश क्रमांक/सम/2018/312 दिनांक 21.08.2018 के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 05.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:14 IST
Reason: SelfAttested